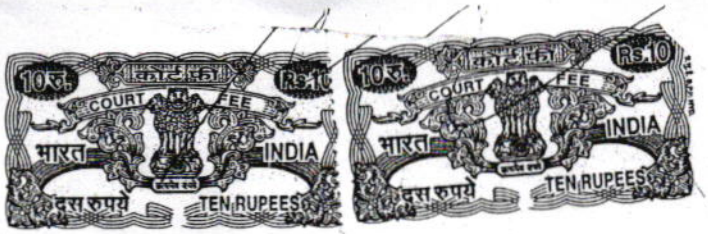

(95)

<u>न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर (कैंप भोपाल)</u>

R - 866 - PBR/13 रा.पुनरीक्षण क्रमांक................../2013

प्रेमनारायण आत्मज श्री पूरनसिंह जाटव
निवासी-ग्राम परासी खुर्द तहसील व जिला-विदिशा। ......निगरानीकर्ता

विरूद्ध

1. चंदनसिंह आत्मज श्री श्यामलाल केवट
निवासी-ग्राम परासी खुर्द तहसील व जिला विदिशा
2. मध्यप्रदेश शासन,
द्वारा-कलेक्टर महोदय,विदिशा। ....उत्तरदाता

<u>निगरानी अन्तर्गत धारा 50 मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता 1959</u>

महोदय,

न्यायालय आयुक्त महोदय भोपाल संभाग भोपाल द्वारा न्यायालयीन प्रकरण कमांक 225/अपील/2011-12 में पारित आदेश दिनांक 07 जनवरी 2013 एवं अधिनस्थ प्रथम अपील न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 04.07.2012 से परिवेदित एवं दुखी होकर यह निगरानी माननीय न्यायालय के समक्ष समय सीमा में प्रस्तुत की जा रही है।

<u>प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त में</u>

01. यह कि निगरानीकर्ता के बड़े पिता (दाऊ) उमानसिंह ग्राम परासीखुर्द, पथरिया एवं सगौदा में चौकीदार के पद पर पदस्थ थे । परन्तु शासन की नीति एवं नियमों के अनुसार उन्हें दो ग्राम परासी एवं सगौदा से त्याग पत्र देने के कारण ग्राम परासी खुर्द में कोटवार का पद स्वीकृत उपरांत विचारण न्यायालय द्वारा प्राप्त आवेदनों पर विधि विपरीत कार्यवाही करते हुए मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता की धारा 230 के प्रावधानों को समझे बग़ैर विचारण न्यायालय द्वारा न्यायालयीन प्रकरण कमांक 9/अ-56/10-11 में पारित आदेश दिनांक 22.01.2011 को उत्तरवादी चंदनसिंह को ग्राम परासी खुर्द तहसील व जिला विदिशा का अस्थाई कोटवार नियुक्त किया गया। विचारण न्यायालय द्वारा प्रकरण कमांक 9/अ-56/10-11 में पारित आदेश दिनांक 22.01.2011 से दुखी होकर निगरानीकर्ता/अपीलार्थी द्वारा प्रथम अपील माननीय अनुविभागीय अधिकारी महोदय विदिशा के समक्ष प्रस्तुत की जिसे उसके द्वारा न्यायालयीन प्रकरण कमांक 158/अपील/10-11 में पारित आदेश दिनांक 30.08.2011 को प्रस्तुत अपील स्वीकार कर प्रकरण विचारण न्यायालय को निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया गया। <u>यहां उल्लेख करना अति-आवश्यक है कि अनुविभागीय अधिकारी विदिशा द्वारा प्रत्यावर्तित आदेश दिनांक 30.08.2011 के विरुद्ध</u> किसी भी पक्षकार द्वारा किसी भी सक्षम

निरन्तर....2

R 866. MBR/13 (निष्पादन)

1.8.16. आवेदक स्वयं उप0। अना. क्र. 1 द्वारा उप0। आवेदन की ओर [illegible] [illegible] उप0 की आपत्ति [illegible] निराकरण [illegible] कार्यवाही की। आवेदक के द्वारा [illegible] दि. 26.5.14 को प्रकरण में [illegible] [illegible] के संबंध में [illegible] [illegible] पत्र की [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] प्रकरण में [illegible] का आवेदन [illegible] प्रकरण में [illegible] [illegible] [illegible] प्रस्तुत किया [illegible] [illegible] प्रस्तुत किया। आवेदक [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[कृ. प. उ.

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	की प्रति प्रस्तुत की। मौखिक निवेदन को श्रवण किया। [illegible] प्रकरण आदेश के आधार पर [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] जाता है। पक्षकार सूचित हों। [illegible] [illegible] की [illegible] [illegible] [illegible] जावे। [signature] [illegible]	प्रेमनारायण चन्द्रनारायण